न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मोहम्मदी, लखीमपुर–खीरी

परिवाद सं0–7546/2023

आसमा खातून बनाम सहीम खॉ आदि

CNR No UPLP10017122-2023

<u>04.06.2026</u>

पत्रावली पेश हुई। पुकार करायी गयी। पुकार पर उपस्थित कोई नहीं है। न ही परिवादिनी की तरफ से उसके विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हैं, न ही कोई स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। पत्रावली बयान अं0धारा–202 सी0आर0पी0सी0 के स्तर पर नियत है। परिवादिनी द्वारा अपना बयान अं0धारा–200 दं0प्र0सं0 अंकित कराया गया है तथा उसकी तरफ से एकमात्र साक्षी पी0डब्लू0–1 इश्तियाक को धारा–202 दं0प्र0सं0 के स्तर पर परीक्षिता कराया गया है। अन्य किसी भी साक्षी को परिवादिनी की तरफ से परीक्षित नहीं कराया गया है। तत्पश्चात् परिवादिनी विगत कई तिथियों से अनुपस्थित चली आ रही है, न ही उसके द्वारा वाद की पैरवी की जा रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि परिवादिनी को परिवाद कार्यवाही को आगे संचालित किये जाने में कोई रुचि नहीं रह गयी है। पत्रावली पर इस स्तर ऐसा कोई तथ्य मौजूद नहीं है, जिससे अभियुक्तगण को किसी भी अपराध में तलब किये जाने का आधार बन सके। अतः परिवाद अंतर्गत धारा–203 दं0प्र0सं0 एवं बल अभाव में खारिज किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(श्रद्धा भारतीय)
यू0पी01964
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
मोहम्मदी, खीरी।
04.06.2026